पुलिस उपायुक्त कार्यालय, काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक 23.04.2024

विषयः- अवैध देशी तमन्चा व जिन्दा कारतूस (315 बोर) के साथ अभियुक्त आशुतोष द्विवेदी उर्फ पंडित उर्फ रीवा थाना लंका पुलिस द्वारा गिरफ्तार ।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा जनपद में घटित होने वाले अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने एवं अवैध शस्त्रों की बरामदगी हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देशन में व अपर पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, कमिश्नरेट वाराणसी व सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी लंका के कुशल नेतृत्व में दिनांक 22.04.2024 को लंका पुलिस द्वारा गढ़वा घाट आश्रम के पीछे ताड़ के बगीचे से 1 नफर अभियुक्त आशुतोष द्विवेदी उर्फ पंडित उर्फ रीवा पुत्र ज्ञानेन्द्र द्विवेदी आवासीय वर्तमान पता मलहिया, रमना, लंका, वाराणसी स्थायी पता ग्राम मुडिला, थाना - गढ़, रीवा, मध्य प्रदेश उम्र - 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना विवरणः-

दिनांक 22.04.2024 को लोकसभा चुनावों के दृष्टिगत शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु गश्त एवं चेकिंग के दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति गढ़वा घाट आश्रम के पीछे ताड़ के बगीचे में खड़ा है उसके पास एक देशी अवैध तमंचा है यदि जल्दी किया जाए तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा एक व्यक्ति को मौके से हिरासत में लिया गया।

पूछताछ विवरण-

अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि साहब मेरे पास एक अवैध देशी तमंचा है जिसके पकडे जाने के डर से आपलोगों को देखकर घबराकर मै भागने लगा। मैं बिहार से 3000 रु0 में तमंचा व कारतूस खरीद कर लाता हूँ तथा यहीं वाराणसी में ग्राहक की तलाश करके 6000-7000 रुपये में बेच देता हूं । इसी से मैं अपना शौक पूरा करता हूँ। साहब भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-पता</u>-

1. आशुतोष द्विवेदी उर्फ पंडित उर्फ रीवा पुत्र ज्ञानेन्द्र द्विवेदी आवासीय वर्तमान पता मलहिया, रमना, लंका, वाराणसी स्थायी पता ग्राम मुडिला, थाना - गढ़, रीवा, मध्य प्रदेश उम्र - 22 वर्ष ।

<u>विवरण बरामदगी</u>

1. अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमन्चा व एक अदद कारतूस (315 बोर) बरामद ।

<u>गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान</u>- दिनांक गिरफ्तारी 22.04.2024 गढ़वा घाट आश्रम के पीछे ताड़ के बगीचे से, थाना क्षेत्र लंका, कमि0 वाराणसी

<u>पंजीकृत अभियोग का विवरण</u> -

1. मु0अ0सं0 0160/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना लंका, कमि0 वाराणसी ।

<u>गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम</u>

1. उ0नि0 अश्वनी कुमार राय, चौकी प्रभारी रमना, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
2. का0 पुरुषोत्तम मिश्रा, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
3. का0 ऋषिकेश राय, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल

पुलिस उपायुक्त, कार्यालय

जोन-काशी कमिश्नरेट वाराणसी